मैसर्स शिल्पा शेयर और प्रतिभूतियाँ आदि

बनाम

द नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आदि

2 मई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960/महाराष्ट्र सहकारी समिति नियम, 1961; नियम 107:

ऋण- ऋणकर्ता द्वारा भुगतान में चूक - ऋणकर्ता की संपत्ति की नीलामी बिक्री द्वारा वसूली - खरीद राशि का 85 प्रतिशत का भुगतान ऋणकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। - प्रभाव माना गया कि विक्रय वैध नहीं - इन परिस्थितियों में, बैंक को निर्देश दिया जाता है कि उचित समय के बाद संपत्ति की फिर से नीलामी की जाए। नियमों के R.107 के तहत प्रक्रिया का विज्ञापन और अनुपालन अधिनियम, 1930--विक्रय

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1, एक सहकारी बैंक से ऋण लिया था। चूँकि अपीलार्थी ऋण के भुगतान में चूक कर चुका था, इसलिए बैंक द्वारा महाराष्ट्र सहकारी समिति नियम, 1961 के तहत अपीलार्थी के विरूद्घ वसूली कार्यवाही शुरू की गई थी। अधिनियम के तहत तैयार किए गए नियमों के R.107 के संदर्भ में वसूली के अनुसरण में, अपीलार्थियों की

संपत्तियों की बिक्री के लिए एक नीलामी आयोजित की गई थी। नियमों के नियम 107 (11) (जी) के तहत अचल संपत्ति की कीमत का 15 प्रतिशत नीलामी खरीदार को खरीद के समय जमा करना होता है तथा खरीद राशि के शेष 85 प्रतिशत का भुगतान विक्रय की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना होता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि खरीद राशि का उपरोक्त 85 प्रतिशत न तो 15 दिवस के भीतर भुगतान किया गया और न ही उसके बाद भुगतान किया गया। व्यथित होकर अपीलार्थी ने नीलामी में किये गये विक्रय बिक्री को वैध नहीं होने के रूप में चुनौती दी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसलिए वर्तमान अपील.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. बलराम बनाम इलाम सिंह और अन्य के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खरीदार का दायित्व समय के भीतर पूरी धन जमा करना है, एक अनिवार्य आवश्यकता है और नियम का गैर-अनुपालन विक्रय को न कि केवल शून्य बना देता है न कि केवल अनियमितता। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों की संपत्ति की नीलामी एक शून्य थी तथा वैध नीलामी नहीं थी। [पैरा 6 और 7] [1130-सी, डी]

मणिलाल मोहनलाल शाह और ओआरएस वी। सरदार सैयद अहमद सैयद महमूद और एन. आर. , ए. आई. आर. (1954) एस. सी. 349 और

बलराम बनाम इलाम सिंह और ओआरएस। , [1996] 5 एस. सी. सी. 705, पर भरोसा किया।

1.2 . यह निर्देश दिया जाता है कि व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो प्रसिद्ध समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन कर, उसमें नीलामी बिक्री की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख कर और उसके बाद महाराष्ट्र कंपनी परिचालन नियम के नियम 107 के तहत प्रक्रिया का पालन कर उक्त संपत्ति को फिर से नीलामी के बाद बेचा जाए। । [पैरा 9] [1130-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 6760-6761 में से 2004

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.01.2003 और 07.03.2003 से 2003 की रिट याचिका संख्या 105 और समीक्षा में बॉम्बे का उच्च न्यायालय क्रमशः 2003 की याचिका सं. 31

अपीलार्थियों की ओर से डॉ. राजीव बी. मसोदकर और अनिल कुमार झा।

उत्तरदाताओं की ओर से ई. सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, गौरव गोयल, अमित कुमार शर्मा, नेहा अग्रवाल, वरुण माथुर और मृदुला रे भारद्वाज।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा दिया गया-

1. हस्तगत अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.1.2003 के विवादित निर्णय और आदेश खिलाफ रिट याचिका सं. 105/2003 में दायर किया गया है

2. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से ऋण लिया था, जो एक सहकारी बैंक है तथा महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत पंजीकृत है। चूंकि अपीलार्थी ऋण के भुगतान में चूक कर चुका था, इसलिए बैंक द्वारा महाराष्ट्र सहकारी समिति नियम, 1961 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत वसूली की कार्यवाही शुरु की गई।

4. वसूली के अनुसरण में, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 107 में निर्धारित अपीलार्थी की संपत्ति की कुर्की और बिक्री प्रक्रिया का सहारा लिया गया। अपीलार्थियों की संपत्तियाँ की बिक्री के लिए एक नीलामी आयोजित की गई थी। नियमों के नियम 107 (11) (जी) के तहत, नीलामी खरीदार द्वारा अचल संपत्ति की कीमत का 15 प्रतिशत खरीद के समय जमा किया जाना है और खरीद राशि के शेष 85 प्रतिशत का भुगतान बिक्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना है। हस्तगत केस में उपरोक्त 85 प्रतिशत खरीद राशि का भुगतान ना तो

बिक्री के 15 दिन की अवधि के भीतर किया गया तथा ना ही उसके बाद किया गया

5. न्यायिक दृष्टान्त मणिलाल मोहनलाल शाह और ओआरएस में। वी. सरदार सैयद अहमद सैयद महमूद और अन्र। , ए. आई. आर. (1954) एस. सी. 349 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर शेष खरीद राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में कोई विक्रय नहीं होगा तथा यह केवल अनियमितता नहीं है। उक्त राशि का भुगतान न करने से विक्रय की कार्यवाही पूरी तरह से रद्द हो जाती है।

6. बलराम बनाम। इलाम सिंह और ओआरएस। , [1996] 5 एससीसी 705, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खरीदार को समय के भीतर पूरी खरीद राशि जमा करने का दायित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है। नियम का पालन न करना विक्रय को शून्य बनाता है न कि केवल अनियमितता।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अपील नीलामी की विक्रय एक शून्य थी तथा कोई वैध नीलामी विक्रय नहीं थी।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है। विवादित फैसला अपास्त किया जाता है और यह माना जाता है कि अपीलार्थी की सम्पत्ति का कोई वैध विक्रय नहीं हुआ।

9. अतः हम निर्देश देते हैं कि उक्त संपत्ति को व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो प्रसिद्ध समाचार पत्रों में नीलामी विक्रय की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख करते हुए और नियमों के नियम 107 के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए इसका विज्ञापन कर फिर से नीलामी के बाद बेचा जाए। कोई लागत नहीं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

एसकेएस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूजा सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।